मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /38(B)/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020 ACS/GAD   भोपाल दिनांक 22.03.2020

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त विभाग प्रमुख
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

विषय : नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 38 दिनांक 19 मार्च 2020 को अधिक्रमित करते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है –

1. मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
2. दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।
3. यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं।
4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा।
5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
6. यह आदेश, प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे – स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुडा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।

7. यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. समस्त विभाग इस सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों/शासकीय संस्थाओं के लिए अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा–निर्देश तत्काल जारी करेंगे।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स इस सम्बन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे।
10. यह आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

22/03/2020

(के.के. सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक/38(B)/ACS/GAD/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020 भोपाल दिनांक 22.03.2020

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल।
7. अपर सचिव, सा.प्र.वि. 7(1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

22/03/2020

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग